मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
ई–मेल: rmsc.mnjy@gmail.com
दूरभाष सं0 : 0141–2224878

क्रमांकः एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2015–16/ 722 दिनांकः 18.02.16

समस्त संयुक्त निदेशक,
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आंवटित बजट की ऑडिट के सम्बन्ध में।

आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से संचालित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त डिमाण्ड अनुसार इन्हे समय–समय मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत बजट आंवटित किया जाता रहा है।

चिकित्सा संस्थानों द्वारा आंवटित बजट का उपयोग संविदा/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के वेतन, रिएजेन्टस, कन्जूमेब्लस उपकरणों की खरीद एवं AMC/CMC हेतु उपयोग किया जाता है।

कार्यालय से प्राप्त डिमाण्ड एवं आवश्यकतानुसार बजट आंवटन किये जाने के उपरान्त भी कार्मिकों के वेतन, रिएजेन्टस एवं कन्जूमेब्लस की अनुपलब्धता की शिकायते प्राप्त होती रहती है। अतः आप अपने अधीन चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आंवटित बजट की Internal Audit अपने स्तर पर निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये करवायेः–

1. चिकित्सा संस्थानों द्वारा एनजीओं /प्लेसमेंट एजेंसी का चयन।
2. कार्य अथवा रिक्त पदानुसार संविदा/प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिको की संख्या।
3. संविदा/प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को दिया जाने वाला मानदेय।
4. मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों व वित्त विभाग से अनुमोदित गाईडलाइन अनुसार दिये जाने वाले मानदेय की पात्रता।
5. चिकित्सा संस्थानों द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरण, रिएजेन्टस एवं कन्जूमेब्लस की प्रकिया।

उपरोक्तानुसार एवं अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये आप अपने स्तर चिकित्सा संस्थानों को आंवटित बजट की Audit करवावे ताकि बजट का समुचित उपयोग हों सके एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का सफल संचालन किया जा सके, जिसकी रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2015–16/ दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी/प्रभारी, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. समस्त सीएमएचओं एवं पीएमओं, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर